

न्यायालय नायब तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :::: मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)
मिसल नं. :::: 25 / 2022
सरकार बनाम पवन कुमार पुत्र किशोरीलाल,
जाति-कुम्हार, निवासी- ढाणी
डालमियान, हाल अबाद सेहीकलां

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 27.01.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका पिता किशोरीलाल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल पवन कुमार पुत्र किशोरीलाल, जाति-कुम्हार, निवासी-ढाणी डालमियान, हाल आबाद सेहीकलां के विरुद्ध ग्राम सेहीकलां की मन्दिर मूर्ति की भूमि जिसकी खातेदारी मंदिर श्री कल्याण जी के नाम दर्ज है, के ख.नं. 432 रकबा 1.28 है० किस्म बारानी-1 में से 0.03 है० भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके पिता किशोरीलाल ने हाजिर होकर जवाब नोटिस पेश किया कि जिसमें भूमि क्रय कर आबाद होना जाहिर किया है, जबकि मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने के कारण मन्दिर मूर्ति की खातेदारी भूमि का बेचान नहीं हो सकता है। अतः गैर सायल की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता। चूंकि भूमि की खातेदारी मन्दिर मूर्ति के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज-6/2007/पार्ट-5 जयपुर, दिनांक 12.09.2018 के द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि "मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरुद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्ति मंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण की रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण करेंगे।" अतः उक्त परिपत्र के अनुसरण में प्रश्नगत मंदिर मूर्ति की भूमि पर भी राजकीय भूमि की तरह राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के प्रावधान लागू होंगे। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 12 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़

र० ले० स० 4 के वृष्ट सं.....पर
वर्ष.21-22...में रुपये...12/- कायम किए

राजस्व लेखाकार